

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 17th January 2017

## Payment and Settlement Systems (Amendment) Regulations, 2017

Notification No. DPSS (CO) RTGS No. 1866/04.04.016/2016-17—In exercise of the powers conferred by subsection (1) read with clauses (b) to (f) of subsection (2) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment to the Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 and Amended in 2011 namely:-

## 1. Short Title &amp; Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Payment and Settlement Systems (Amendment) Regulations, 2017
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. Amendment –

In the Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, in Schedule,

- (i) for Item Nos. 7 and 8, the following shall be substituted, namely:-  
"7. RTGS System Regulations 2013"
- (ii) after substitution, the existing serial no '9' shall be re-numbered as '8' and the existing serial no '10' shall be re-numbered as '9' and so on.

CHANDAN SINHA  
Executive Director



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23—सितम्बर 29, 2017 (आश्विन 1, 1939)  
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23—SEPTEMBER 29, 2017 (ASVINA 1, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं  
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 17 जनवरी 2017

भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियमावली, 2017

अधिसूचना सं. डीपीएसएस. (सीओ) आरटीजीएस सं. 1866/04.04.016/2016-17—भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (ख) से (च) के साथ पठित उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 जिसे 2011 में संशोधित किया गया, में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

1. छोटा शीर्षक और आरंभ :-

- इन विनियमों को भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहा जाएगा
- ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. संशोधन -

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में, अनुसूची में

- मद सं. 7 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“ 7. आरटीजीएस प्रणाली विनियमावली 2013”

- (ii) प्रतिस्थापन के पश्चात, मौजूदा क्रम संख्या '9' को बदलकर '8' कर दिया जाएगा और मौजूदा क्रम संख्या '10' को संख्या '9' के रूप में बदल दिया जाएगा और इसी तरह।

चन्दन सिन्हा  
कार्यपालक निदेशक